प्रेस नोट

दिनांक 10.12.2025

05 अभियुक्तगणों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जनपद के **थाना सुमेरपुर, बिवांर, जरिया व थाना जलालपुर** से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अभियुक्त- विकास सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी मु0 वार्ड नं0 15 नई बस्ती थाना व कस्बा सुमेरपुर जनपद हमीरपुर दिनांक 28.11.2025 से 06 माह।
2. अभियुक्त- मयंक पुत्र भान सिंह निवासी ग्राम लोधामऊ थाना बिवांर जनपद हमीरपुर दिनांक 28.11.2025 से 06 माह।
3. अभियुक्त- भरत पुत्र मूरतध्वज निवासी ग्राम इटैलिया बाजा थाना जरिया जनपद हमीरपुर दिनांक 28.11.2025 से 06 माह।
4. अभियुक्त- तेजराम पुत्र परशुराम निवासी ग्राम न्यूलीबासा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर दिनांक 28.11.2025 से 06 माह।
5. अभियुक्त- बृजेन्द्र पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर दिनांक 28.11.2025 से 06 माह।